

दिनाँक 26 नवम्बर, 2022

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना डिबाई

थाना डिबाई पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ के उपरान्त 01 वांछित अपराधी घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद।

जनपद मे तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 26-11-2022 को थाना डिबाई पुलिस टीम धर्मपुर रोड पर गोविन्दपुर फाटक के पास संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैिकंग में मामूर थी कि उसी समय एक अभिसूचना प्राप्त हुई की एक बाइक पर 03 बदमाश सवार होकर लूटपाट करने के इरादे से घूम रहे हैं। कुछ समय पश्चात धर्मपुर रोड पर सामने की तरफ से एक बाइक पर 03 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए जिनको टार्च द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो बदमाश बाइक को तेजी से चकरोड की ओर मोडकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गयी जिस पर बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फार्यारेंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फार्यारंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसकों गिरफ्तार किया गया तथा 02 बदमाश जंगल की तरफ भागने में सफल रहे जिनकी कॉम्बंग कर गिरफ्तारों के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान सुनील सिंह पुत्र स्व0 रमेश सिंह निवासी ग्राम रामपुर जोगराजपुर थाना राजेपुर जनपद फरुखाबाद के रूप में हुई हैं। जिसको उपचार हेतु सीएचसी डिबाई में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सुनील सिंह एक शातिर किस्म का लुटेरा/चोर है जो थाना डिबाई पर पंजीकृत मुअसं-570/22 धारा 394/411 भादवि व मुअसं-631/22 धारा 394/411 भादवि में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियक्त का नाम पता-

- 1- सुनील सिंह पुत्र स्व0 रमेश सिंह निवासी ग्राम रामपुर जोगराजपुर थाना राजेपुर जनपद फरुखाबाद। बरामदगी-
- 1- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा व 03 खोखा कारतूस।
- 2- एक बाइक होन्डा साइन रजि0नं0 UP-87-F-1914।

अभियुक्त सुनील सिंह का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-77/20 धारा 392/411 भादवि थाना हरपालपुर जनपद हरदोई।
- 2- मुअसं-328/20 धारा 379/411 भादवि थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।
- 3- मुअसं-99/21 धारा 379/411 भादवि थाना सण्डीला जनपद हरदोई।
- 4- मुअसं-117/21 धारा 34/307 भादवि थाना हरपालपुर जनपद हरदोई।
- 5- मुअसं-140/21 धारा 394/411 भादवि थाना टडियांवा जनपद हरदोई।
- 6- मुअसं-208/21 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई।
- 6- मुअसं-570/22 धारा 394/411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
- 7- मुअसं-631/22 धारा 394/411 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
- 7- मुअसं-634/22 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना डिबाई पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

थाना डिबाई पुलिस टीम-

- _______ 1. श्री अशोक कुमार निरीक्षक थाना डिबाई।
- 2. 30नि0 श्री विक्रम सिंह, उ0नि0 श्री अंकित कुमार, उ0नि0 श्री तेजेन्द्र सिंह।
- 3. का0 प्रदीप कुमार, का0 सुखविन्दर सिंह, का0 सन्दीप कुमार, का0 सचिन कुमार, का0 लाखन सिंह।









मीडिया सेल बुलंदशहर